# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

**पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल,आर.ए.एस.**

**राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 06/2019**

**प्रार्थीगण**

1. जगाराम पुत्र हमराजी
2. हंजारीराम पुत्र हमीराजी
   जातियान घांची निवासीयान आजोदर तहसील रानीवाडा

**अप्रार्थीगण**

1.जोराराम वल्द हमीराजी जाति घांची निवासी आजोदर तहसील रानीवाडा
2.तहासीलदार भूमीधारी रानीवाडा

**अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थिति :–

1. प्राथी अधिवक्ता श्री पूखराज विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह देवडा उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा।

## निर्णय

दिनांक – 04.02.2021

1. प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा आजोदर तहसील रानीवाडा की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1001 रकबा 0.03 हैक्टर गै.मु. मकान, खसरा नम्बर 1009 रकबा 0.14 हैक्टर चाही उत्तम जाव ए उत्तम, खसरा नम्बर 1011 रकबा 0.15 हैक्टर चाही उत्तम जाव ए उत्तर, कुल रकबा 0.33 हैक्टर प्रार्थी संख्या 01 जगाराम के नाम से अलग खातेदारी मे दर्ज है। तथा खसरा नम्बर 1000 रकबा 0.34 हैक्टर चाही उत्तम जाव A उत्तम के रूप मे प्रार्थी संख्या 02 के नाम खातेदारी अलग से दर्ज है तथा खसरा नम्बर 1002 रकबा 0.05 हैक्टर, गै.मु. मकान खसरा नम्बर 1008 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 1010 रकबा 0.17 हैक्टर चाही उत्तम जाव A उत्तम कुल रकबा 0.34 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 01 जोराराम के नाम अलग से खातेदारी दर्ज है। तथा खसरा नम्बर 1006 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 1007 रकबा 0.22 हैक्टर चाही उत्तम जाव A उत्तम कुल रकबा 0.33 हैक्टर आराजी तगाराम के नाम दर्ज थी तथा जिस ना.क.स. 775 दिनांक 28.03.2014 को जरिये बैचान खसरा नम्बर 1006,1007 जुमले रकबा 0.33 हैक्टर मे तगाराम के बजाय कृष्णलाल पुत्र विजयराज जोशी को बैचान कर दी थी जिसने आगे से आगे पुनः अप्रार्थी संख्या 01 जोराराम को बैचान कर दी तथा मौजा आजोदर मे हम दोनो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 तथा अन्य भाई तगा पुत्र हमीराजी के साथ का पुश्तैनी सामलाती हितार्थ एवं उपयोगितार्थ प्रयोजनार्थ कृषि भूमि एवं रास्ता भूमि तथा कृषि कुआ खसरा नम्बर 1003 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 1004 रकबा 0.03 हैक्टर गै.मु. सामलाती तथा खसरा नम्बर 1005 रकबा 0.03 हैक्टर गै.मु. रास्ता भूमि सामलाती राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.12 18:43:15 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थीगण की उक्त आराजी सामलाती रूप से खसरा नम्बर 1003, 1004, 1005 राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। तथा प्रार्थीगण के उक्त खातेदारी भूमि एवं सार्वजनिक रास्ते की खातेदारी कृषि भूमि के बीच अप्रर्थी संख्या 1 की कृषि भूमि आयी हुई हैं तथा इस कृषि भूमि के अलावा अन्यत्र से कही भी प्रार्थीगणो के आवागमन हेतु सार्वजनिक रास्ता भूमि मौके पर उपलब्ध ही नही है तथा प्रार्थीगण की सामलाती गै.मु.बेरा, सड़ा व रास्ता भूमि खसरा नम्बर 1003, 1004, 1005 भी अप्रार्थी संख्या 1 ने अवैध अतिक्रमण कर सिर्फ प्रार्थीगणो को इस रास्ता भूमि के आवागमन हेतु जबरन आपराधिक षडयंत्र रचकर बाधित करने के बदनियिति पूर्वक आश्य से रास्ता बंद कर सदोष परिराधित कर दिया है। इस रास्ते के अलावा निकटतक दूरी पर अन्य कही से भी प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मे आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध ही नही है। तथा प्रार्थीगणो के खातेदारी जोत मे आवागमन हेतु इस नये रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है उक्त रास्ते के अभाव मे प्रार्थीगण चारो तरफ से अपनी खातेदारी खेत मे सदोष परिरोधित होकर कैद हो गये है। कही अन्यत्र से रास्ता उपलब्ध ही नही है। रास्ते के अभाव में कृषि उपज भूमि बिना काश्त के खराब हो रही है, तथा सामलाती कुए को ढहा कर बंद कर देने से उक्त कुए में पडी प्रार्थीगणों की मोटर केबल व पाईप नष्ट होकर उन्हे आर्थिक नुकसान अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा कारित हो रहा है। सियालू ऋतु मे खेतो मे फसल बूवाई करने का समय गुजर रहा है। तथा रास्ते के अभाव मे प्रार्थीगणो का खेत खडाई व बूवाई बिना पडे है तथा कृषि उपयोग यंत्र लाने ले जाने मे भंयकर समस्या रास्ते के अभाव मे उत्पन्न हो चूकी हैं। इसलिए धारा 251क आर टी एक्ट के प्रावधानो के तहत मैाजा आजोदर मे प्रार्थीगणो की खातेदारी कुषि भूमि खसरा नम्बर 1000,1001,1009,1011 मे सार्वजनिक रास्ते ग्रेवल सडक से होकर प्रार्थीगणो के सामलाती खातेदारी मे दर्ज गै.मु. बेरा सडा एवं रास्ता भूमि खसरा नम्बर 1003,1004,1005 मे से होकर आवागमन हेतु नया रास्ता सब से निकटतम दूरी पर रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होते हुए तथा अन्यत्र कही भी अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही होने से प्रार्थीगण के अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी कृषि जोत खसरा नम्बर 1002, 1008, 1010 में से 30 फीट की चौडाई का नया रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है तथा सामलाती गै.मु.कृषि भूमि गै.मु. बेरा, सडा व रास्ता की भूमि खसरा नम्बर 1003, 1004, 1005 मे किये बिना विधिक अधिकार अवैध अतिक्रमण पुलिस इमदाद से अवैध अतिक्रमण तोडकर हटाया जाकर नया रास्ता प्राप्त करने के प्रथम दृष्टिया प्रार्थीगण अधिकारी है।इसके लिए अप्रार्थी संख्या 01 ने दिनांक 12.04.2018 को स्टाम्पस पर उक्त आराजीयान मे आवागमन हेतु रास्ता आम सहमति से लिखित सहमति देकर स्वीकार भी किया था। परन्तु अब रास्ता बंद करके वापस मुकर गया है, जो रास्ते मे अपने पूर्व किये कथनो को मानने हेतु ESTOPPLED के सिद्वान्त से उक्त इकरारनामे से अप्रार्थी संख्या 01 पाबन्द है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी कृषि भूमि मे सार्वजनिक कटाण रास्ते से होकर अपनी कृषि जोत की काश्त करने हेतु आवागमन हेतु सबसे निकटतम दूरी के नये कटाण रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता के चलते कही भी अन्य वैकल्पिक रूप से रास्ते की अनुपलब्धता के रहते अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि जोत मे से 30 फीट चौडाई मे नजरी नक्शा परिषिष्ट अ मे दर्शाये गये प्रस्तावित नये रास्ते की घोषणा हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। जिसकी लिखित सहमति स्टाम्प पर लिखकर देकर अप्रार्थी संख्या 01 जोराराम वापस मुकर गया है। इसलिए धारा 251 (क) आर टी एक्ट संशोधित अधिनियम के प्रावधानो के तहत प्रार्थीगण नया रास्ता रास्ते के सुखाधिकार एवं इस अधि0 के तहत प्राप्त करने के अधिकारी है। तथा उक्त रास्ते के लिए आने वाली जमीन रकबे की माफिक डी एल सी राशि की रास्ते के उपयोग मे आने वाली कृषि जोत के रकबे की 30 फीट चौडाई एवं युक्तियुक्त सार्वजनिक रास्ते मे प्रार्थीगणो के खेत तक की लम्बाई की [illegible]दार रानीवाडा एवं हल्का पटवारी आजोदर द्वारा गणना करने पर न्यायालय [illegible] आदेशित विधि सम्मत राशि का भुगतान प्रार्थीगण करने को तैयार है।इस हेतु [illegible] प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष अन्दर म्याद प्रस्तुत है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.12 18:43:15 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रस्तावित नया रास्ता घोषित करवाने की कृषि जोत प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि जोत मोजा आजोदर मे स्थित रहने से न्यायालय हाजा को प्रकरण की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह है कि आजोदर तहसील रानीवाडा मे स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि जोत खसरा नम्बर 1000, 1001, 1009, 1011 मे सार्वजनिक रास्ते से होकर प्रार्थीगणेा के सामलाती कटाण रास्ते व सामलातीसडा व कूए की जमीन खसरा नम्बर 1003, 1004, 1005 मे से होकर अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि जोत खसरा नम्बर 1002, 1008, 1010 मे से नजरी नक्शा मे परिशिष्ठ अ मे दर्शाये अनुसार मार्क ए,बी,सी,डी,ई,एफ तक 30 फीट चौडाई मे सबसे निकटतम दूरी का नया रास्ते के लिए अन्यत्र से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही होने से नया रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता के चलते उक्त नया रास्ता प्रार्थीगण के हक में तथा अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्व घोषित किया जाकर उक्त रास्ते के रूप मे उपयोग आने वाले क्षेत्रफल की हल्का पटवारी एवं तहसीलदार रानीवाडा से गणनाकर निर्धारित डी एल सी रेट से दुगीनी राशि की गणना कर विधि सम्मत आदेशित करने पर नया रास्ते की उपयोग  उपभोग मे आने वाली जमीन की कीमत अदा करने को प्रार्थीगण तैयार है। उक्त नया रास्ते की बदले की कीमत राशि का डी डी अप्रार्थी संख्या 01 के नाम करवाने के बाद नया रास्ता राजस्व रेकर्ड मे अमलदीरामद कर नक्शा ट्रेश मे तरमीम कर, अतिक्रमित दर्ज रास्ता भी अतिक्रमण मुक्त करवाकर खोलकर रास्ता सुगमता से प्रार्थीगणो के आवागमन हेतु चालू किया जाने का आदेश तहसीलदार महोदय रानीवाडा पर तहरीर के मार्फत आदेश फरमावें।

4. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हूए। तथा अप्रार्थीगण द्वारा जवाब दिया गया।

5. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यक्ता नही है तथा नही उक्त स्थान पर पूर्व मे कोई रास्ता चलायमान है। तथा मुझ अप्रार्थी के खेत का रकबा कम हैं एवं इससे अगर 30 फीट का रास्ता निकालेगें तो अप्रार्थी का खेत कृषि योग्य खेत बहुत कम रहेगा। एवं अप्रार्थी को काफी नुकसान होगा इसलिए प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण की भूमि पर अन्यत्र से आवागमन का रास्ता सुलभ है। इसलिए प्रार्थीगण ने अपने खेतो मे गैहुं की फसले बोई है। अगर रास्ता बन्द होता तो प्रार्थीगण फसल कैसे बोते। सो प्रार्थीगण का यह कथन बेबुनियाद होने से अस्वीकार है प्रार्थीगण ने रंजिश वंश मुझ अप्रार्थी को हैरान परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण का यह कथन हम चारो तरफ अपनी खातेदारी खेत मे सदोष परिरोधित होकर कैद हो गये हैं। गलत होने से अस्वीकार है अगर प्रार्थीगण कैद होते तो अपने खेत मे गैहु की फसल किस प्रकार बोते।इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास रास्ता उपलब्ध होने से ही उन्होने रास्ते का उपभोग कर गैहुं की फसल बोई हैं। सामलाती कुंआ को ढहाने का कथन भी कपोल कल्पित होने से अस्वीकार है जवाब यह है कि अगर कुंआ ढहाते तो प्रार्थीगण पुलिस थाने, या तहसील मे रिपोर्ट अवश्य करते। लेकिन उन्होने ऐसा नही किया। अप्रार्थी जोरा के ख.नं. 1010 मे से हल्का पटवारी ने गलत लाल मार्क किया है। क्योकि प्राथी सं 2 के खेत से निकटतम रास्ता अप्रार्थी के खेत मे से नही होगा व काफीदूर होगा। प्रार्थीगण ने अपने वैकल्पिक रास्ते से खेत की बुवाई, खडाई हेतु ट्रेक्टर यन्त्र लेकर गये तथा उसमें गैहुं की फसल उगी हुई है। प्रार्थीगण का खेत खडाई, बुवाई बिना पडै होने का तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण अपने वैकल्पिक रास्ते सें कृषि उपयोग यन्त्र लाने ले जाने मे भयंकर समस्या उत्पन्न होने का कथन गलत होने से अस्वीकार है एवं खारिज योग्य है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते के बिना वैकल्पिक रास्ते आसान कृषि कार्य आराम से कर रहा है। प्रार्थीगण को इस रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यक्ता नहीं है। निकटतम दूरी वर्तमान मे प्रार्थीगण ने जो गणित की है वो गलत है क्योंकि प्रार्थीगण ने एक लम्बा रास्ता चाहा है जो कदापि सम्भव नही है। ऐसे मामले मे प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.12 18:43:15 IST
Reason: SelfAttested

धारा 251 क आर टी एक्ट के प्रावधानों के विरूद्व पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। लिहाजा जवाब मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि जवाब प्रार्थना पत्र के तमाम फिकरों पर गौर फरमाकर प्रार्थीगण का यह विधि विरूद्व प्रार्थना पत्र खारिज करवाने के आदेश फरमावें।

6. अप्रार्थी संख्या 2 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 14.10.2019 को जवाब पेश किया गया जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा आजोदर में प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1001, 1009, 1011 कुल रकबा 0'32 हे0, जगाराम पुत्र हमीरा के नाम एवं खसरा नम्बर 1002, 1008, 1010 कुल रकबा 0.34 है. व खसरा नम्बर 1006, 1007 कुल रकबा 0.33 है. भूमि जोरा पुत्र हमीरा जी के नाम से दर्ज है। प्रार्थीगणों द्वारा खसरा नम्बर 1002, 1008, व 1010 की आराजी में से रास्ता चाहा गया है। खसरा नम्बर 1002 की किस्म गै.मू. मकान होने से खसरा नम्बर 1007 में से रास्ता प्रस्तावित हेतु निरीक्षण किया गया व जांच की गई। खसरा नम्बर 1005, 1003, व 1004 कुल रकबा 0.07 हे. भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी के शामलाती खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1011, 1009, व 1000 में जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। एवं इन्हे मार्ग की आत्यांतिक आवश्यकता है। उक्त खसरें में आवागमन हेतु नजदीकतम मार्ग खातेदारी रेकर्ड रास्ता खसरा नम्बर 995 किस्म गै.मू. रास्ता है। खसरा नम्बर 5 रकबा 0.03 किस्म रास्ता व खसरा नम्बर 1004, 1003 शामलाती खातेदारी भूमि है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य आने वाले खसरा नम्बर 1007, 1008 ,1009, 1010 है। जिनकी लम्बाई चौडाई मीटर में निम्न है–

| खसरा नम्बर | लम्बाई (मीटर में ) | चौडाई(मीटर में) | क्षैत्रफल |
|---|---|---|---|
| 1007 | 10 | 5 | 50 |
| 1008 | 20 | 4 | 80 |
| 1009 | 64 | 4 | 256 (प्रार्थी की खातेदारी) |
| 1010 | 36 | 4 | 144 |

वर्तमान डीएलसी दर 467060 रूप्ये प्रति हेक्टेयर है। कुल प्रतिकर राशि की दुगुनी राशि 25594 रूप्ये बनती है। प्रस्तावित मार्ग में अन्य कोई संरचना वृक्षादि ,पहाड, नाडी नहीं है।

7. दिनांक 28.02.2020 को अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार रानीवाडा की जांच रिपोर्ट को उभय पक्षों के अधिवक्ताओं को दिखाया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार रानीवाडा की जांच रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 1 व 2 की दक्षिणी माठ पर सींधा करने तथा खसरा नम्बर 1010 में दर्शाये रास्ते की जगह खसरा नम्बर 1000 में देने का निवेदन किया। व प्रतिकर राशि भी लेने से मना किया गया । जिस पर प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा भी अपनी सहमति जताई गई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद पत्रांक/कोर्ट/2020/123 दिनांक 11.03.2021 से पूर्व जांच रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1 व 2 की दक्षिणी माठ पर रास्ता सीधा करते हुए खसरा नम्बर 1011 में जाने हेतु खसरा नम्बर 1010 के स्थान पर खसरा नम्बर 1000 में से रास्ता देते हुए पुन जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा पत्रांक 30 दिनांक 22.01.2021 को जांच रिपोर्ट पेश कि गई। जांच रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 1001, 1002, 1009 ,1000 में रास्ते की लम्बाई चौडाई व क्षैत्रफल निम्न प्रकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.12 18:43:15 IST
Reason: SelfAttested

| खसरा नम्बर | लम्बाई (मीटर में ) | चौडाई(मीटर में) | क्षैत्रफल |
|---|---|---|---|
| 1001 | 46 | [illegible] | 184 |
| 1002 | 26 | 4 | 104 |
| 1009 | 56 | 4 | 224 |
| 1000 | 40 | 4 | 160 |

प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षेत्रफल 672 वर्गमीटर है। प्रस्तावित मार्ग में अन्य कोई संरचना वृक्षादि ,पहाड, नाडी नहीं है।

8. हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण का सामलाती खातेदारी आराजी मौजा आजोदर के खसरा नम्बर 1001 रकबा 0.03 हैक्टेयर ,खसरा नम्बर 1009 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1011 रकबा 0.15 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 1 के नाम से तथा खसरा नम्बर 1000 रकबा 0.34 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 2 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इसी ग्राम में खसरा नम्बर 1002, 1008 व 1010 रकबा 0.34 हेक्टेयर तथा 1006, 1007 रकबा 0.33 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त खसरों के आवागमन हेतू नजदीकतम मार्ग खातेदारी रेकर्ड रास्ता खसरा नम्बर 995 किस्म गै.मू. रास्ता है। तथा खसरा नम्बर 1002 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त रास्ता देने के संबंध में बिना प्रतिकर लिये आपसी सहमति से रास्ता देने की सहमति दी है। उक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

## —: आदेश :—

9. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1001, 1009, 1011, 1000 में से आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1001, 1002, 1009, 1000 मे सें रास्ता दिया जाता है। जिससे रास्ते की खसरा नम्बर 1001 में लम्बाई 46 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 184 वर्गमीटर ,खसरा नम्बर 1002 में लम्बाई 26 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 104 वर्गमीटर , खसरा नम्बर 1009 में लम्बाई 56 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 224 वर्गमीटर , खसरा नम्बर 1000 में लम्बाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 160 वर्गमीटर कुल क्षैत्रफल 672 वर्गमीटर है। जो आगे खसरा नम्बर 995 किस्म गैर मुमकिन रास्ता से जोडता है। तथा खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1002 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 ने बिना प्रतिकर से रास्ते हेतु अपनी सहमति देने से इनको प्रतिकर राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा । शेष खसरान 1001, 1009, 1000 प्रार्थीगण के होने से किसी प्रकार की प्रतिकर राशि का भूगतान नहीं किया जावें। तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा अपने जवाब मे प्रस्तुत मौका प्रति अनुसार लाल स्याही से दर्शाये अनुसार खसरा नम्बर 1001, 1002, 1009, 1000 में लम्बाई 168 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 672 वर्गमीटर राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करें तथा उक्त रास्ते की नक्शा लट्ठा मे तरमीम की जावे। निर्णय की प्रर्ति तहसीलदार रानीवाड़ा को पालना हेतु भेजी जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.12 13:43:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला जालोर